बागीरथ सिंह और एक अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य

6 सितंबर, 2005

[बी. पी. सिंह और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधिपतिगण]

अभ्यास और प्रक्रिया - रिट याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज - उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका को खारिज करने के खिलाफ वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है - इसलिए खारिज की गई।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 647/2000

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18310/ 1998 में पुनर्विलोकन याचिका संख्या 357/99 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 7.5.1999 से।

पी. सी. जैन और महेंद्र आनंद, मय सुश्री एस. जनानी और कीर्ति सिन्हा, अपीलार्थियों के लिये।

एस. पी. गोयल, अमिता गुप्ता, प्रशांत राणा और हिमांशु उपाध्याय, प्रतिवादीगणो के लिये।

न्यायालय का निर्णय बी. पी. सिंह, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया।

यह सिविल अपील अपीलकर्ताओ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 18310/1998 में उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश की समीक्षा के लिये उनके द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

हमने आज सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18310/1998 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 646/2000 को खारिज कर दिया है। इसलिये, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते है और तदनुसार यह खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।